(81)

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

एकीकृत शिक्षा परिसर, पेंशन बाड़ा, रायपुर
फोन नम्बर– 0771-2331384, 2331385 फैक्स नम्बर–0771-2445215

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

ज्ञाप क्रमांक / मध्यान्ह भोजन / म.स्व.समूह / 2012 / 655 रायपुर, दिनांक 07.04.12

प्रति,

3. समस्त कलेक्टर
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
5. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम कल्याण विभाग
   छत्तीसगढ़

विषय : मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता देने बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की राज्य स्तरीय संचालन एवं मानिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.02.2012 को मंत्रालय में सम्पन्न हुई । इस बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गए है :

1. राज्य की शालाओं में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के लिए गांवों में गठित महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए ।

2. यदि गांवों में महिला स्व सहायता समूह गठित न हो तो उनके गठन के लिए पंचायत स्तर पर या संकुल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर स्व सहायता समूह गठित करने हेतु महिलाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए ।

3. महिला स्व सहायता समूह गठित किए जाने हेतु , कुछ दिनों पूर्व ही राज्य की महिला स्व सहायता समूह के गठन एवं महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित राजनांदगांव जिले की श्रीमती फूलबासन बाई यादव और नव गठित जिला बालोद के गुण्डरदेही विकासखंड निवासी श्रीमती शमशाद बेगम का उदाहरण देकर व संभव हो तो ग्राम पंचायत स्तर पर या विकासखंड स्तर पर उनके कार्यक्रम आयोजित कराकर महिला स्व सहायता समूह के गठन को प्रेरणास्पद बनाया जा सकता है ।

4. राज्य में जिन शालाओं में प्रधान अध्यापक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को संचालित कर रहे है उस शाला के मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन संबंधित ग्राम के स्व सहायता समूह को तत्काल हस्तांतरित करे। यदि स्व सहायता गठित न हो तो स्कूल प्रबंधन समिति को प्राथमिकता दिया जावे । यदि स्कूल प्रबंधन समिति मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन में अपनी असमर्थता व्यक्त करे उसी स्थिति में ग्राम पंचायत को तब तक ही जब तक कि संबंधित ग्राम में महिला स्व सहायता का गठन न हो जावे, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी दी जावे । संबंधित प्रधान पाठकों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन से विमुक्त रखा जावे, वे केवल मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की मानिटरिंग करेगें व देखेगें कि:–

   - बच्चों को मध्यान्ह भोजन समय पर उपलब्ध हो रहा है,
   - मध्यान्ह भोजन का साप्ताहिक मीनू शाला में चस्पा किया गया है,

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

एकीकृत शिक्षा परिसर, पेंशन बाड़ा, रायपुर

फोन नम्बर– 0771-2331384, 2331385 फैक्स नम्बर–0771-2445215

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

- मध्यान्ह भोजन साप्ताहिक मीनू के अनुसार दिया जा रहा है
- साथ ही मध्यान्ह भोजन गुणवत्तायुक्त दिया जा रहा है अथवा नहीं ।

5. विषम परिस्थिति या किसी अन्य कारण से संबंधित शाला में विवाद की स्थिति है, तभी अस्थायी रूप से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन प्रधान पाठक को सौंपा जावे । विवाद समाप्त होने के उपरांत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन स्व–सहायता समूह को हस्तांतरित कर दिया जावे ।
6. इस प्रकार भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप हर स्थिति में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन महिला स्व सहायता समूहों को ही प्राथमिकता के आधार दिया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
7. बैठक में यह भी जानकारी दी गयी है कि कुछ जिलों में मध्यान्ह भोजन संचालनकर्ता स्व सहायता समूह के बैंक खाते, प्रधान अध्यापक के साथ संयुक्त रूप से खोले जाकर संचालित किए जा रहे है । ऐसे सभी खातों से प्रधान अध्यापक का नाम हटा दिया जावे ।

आयुक्त 5/5/2012
लोक शिक्षण
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक/मध्यान्ह भोजन/ म.स्व.समूह /2012/ 656 रायपुर, दिनांक 07.4.12

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय–रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय–रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त 5/5/2012
लोक शिक्षण
छत्तीसगढ़